

फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री सुरेश सोनी निवासी छतरी चौक, केलवा तहसील व जिला राजसमन्द – अपीलार्थी
बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005

पत्रावली संख्या 82/2025

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
दिनांक 12.09.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांक :- RTI/2025/74 दिनांक 08.09.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा ऑनलाईन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर संलग्न प्रार्थनानुसार सूचना चाही गई है। उक्त आवेदन पत्र की सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं होना प्रतीत होने से इस कार्यालय के पत्रांक 73 दिनांक 29.08.2025 से मूल ही आवेदन विकास अधिकारी, पंचायत समिति राजसमन्द को भेजकर आवेदन पत्र में वर्णित वांछित सूचना/प्रतिलिपियां समयावधि में आवेदक को उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया है। एवं प्रतिलिपि आवेदक को भी दी गई है।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से संबंधित नहीं होने के कारण जरिये पत्रांक 73 दिनांक 29.08.2025 से मूल ही आवेदन विकास अधिकारी, पंचायत समिति राजसमन्द को भेजकर आवेदन पत्र में वर्णित वांछित सूचना/प्रतिलिपियां समयावधि में आवेदक को उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया है। एवं प्रतिलिपि आवेदक को भी दी गई है।</p> <p>अतः लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना संबंधी मूल आवेदन पत्र को अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु विकास अधिकारी, पंचायत समिति राजसमन्द को भेजकर प्रार्थी को भी सूचित किये जाने तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को क्षेत्राधिकार नहीं होने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है। तथा अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा चाही गई वांछित सूचना संबंधित कार्यालय/विभाग से नियमानुसार प्राप्त करें।</p> <p>निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द को भिजवायी जावे।</p> <p>पत्रावली फौसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	



[Signature]
लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद